अनुमण्डल कार्यालय, त्रिवेणीगंज।

(राजस्व शाखा)

–ःअल्पकालीन सूचनाः–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुमंडल, त्रिवेणीगंज स्तर से विभिन्न सैरातों की वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए डाक निलामी द्वारा दिनांक–17.03.2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में बन्दोवस्ती की जाएगी। यदि दिनांक–17.03.2020 को उक्त सैरातों में से कोई सैरात बन्दोवस्ती हेतु अवशेष रह जाता है तो उसकी बन्दोवस्ती आगामी तिथि–20.03.2020, 26.03.2020 एवं 30.03.2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

–ः सैरातो का विवरण :–

क्रमांक	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	त्रिवेणीगंज	1. जरैला हाट	67,603=00	13,600=00	
		2. वाजितपुर हाट	30,475=00	6,100=00	
		3. परसागढ़ी हाट	34,385=00	6,900=00	
		4. मगरकुप्पी हाट	75,900=00	15,200=00	
		5. फसियाकोठी हाट	79,350=00	15,900=00	
2.	छातापुर	6. महदीपुर हाट	77,280=00	15,500=00	
		7. गिरधरपट्टी हाट	34,788=00	7,000=00	
		8. घीवहा हाट	32,637=00	6,600=00	
		9. मुर्कुजा हाट	53,763=00	10,800=00	
		10. जीवछपुर हाट	70,380=00	14,100=00	
		11. परियाही हाट	34,155=00	6,900=00	
		12. कामत किसुनगंज हाट	67,448=00	13,500=00	
		13. बलुआ हाट	70,093=00	14,100=00	

–ः बन्दोवस्ती की शर्त :–

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा अद्यतन निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र यथा आधार कार्ड, इपीक कार्ड एवं इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि भविष्य में चरित्र से संबंधित प्रतिकुल सूचना प्राप्त होने पर जमा राशि (Forfit) जप्त कर ली जायगी।
2. बन्दोवस्ती की डाक आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक इच्छुक डाककर्त्ता को प्रतिभूति के रूप में सुरक्षित जमा का **बीस प्रतिशत** जमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट/नगद के रूप में अनुमण्डल नजारत शाखा, त्रिवेणीगंज में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाक वक्ता को जमानत की राशि वापस कर दिया जाएगा।
3. सर्वोच्च डाक कर्त्ता को जमानत की राशि का सामंजस्य डाक की राशि में किया जाएगा।
4. सर्वोच्च डाक की राशि डाक सम्पन्न होने के साथ ही निबंधन शुल्क एंव स्टाम्प शुल्क कुल **आठ प्रतिशत** की राशि के साथ एक मुश्त चेक/नगद के रूप में अनुमण्डल नजारत में जमा करना होगा, अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाक वक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जाएगा।
5. किसी भी डाक बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. सैरात की बन्दोवस्ती, बन्दोवस्ती की तिथि/दिनांक–01.04.2020 से प्रभावी होगा।
7. बिना कारण बताये डाक स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

05/03/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
त्रिवेणीगंज।

ज्ञापांक 489 /रा0 त्रिवेणीगंज, दिनांक– 05 / 03 /2020

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज/छातापुर को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वृहत प्रचार–प्रसार हेतु एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। अंचल अधिकारी को निदेश है कि बस पड़ाव, हाट बाजार एवं मेला के जगहों पर डुगडुगी पिटवाकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार–प्रसार करेंगे साथ ही प्रखंड त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को तत्संबंधी नोटिस पर हस्ताक्षर प्राप्त कर तामिला प्रतिवेदन निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री सत्य ना0 राम अनुमण्डल नाजिर, अनुमण्डल कार्यालय, त्रिवेणीगंज को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि डाक में भाग लेनेवाले डाकवक्ता से जमानत की राशि लेगें एवं डाक के समय उपस्थित रहेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आम सूचना की प्रति को जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करायी जाए।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जनसम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में सैरातों की बंदोवस्ती संबंधी आम सूचना प्रकाशित करायी जाए।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता, सुपौल को सादर सूचनार्थ समर्पित।

05/03/20

अनुमंडल पदाधिकारी,
त्रिवेणीगंज।